राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

माननीय उपाध्यक्ष कार्यालय

फाइल संख्या - . NCBC/DO/2019/159-VC

सुनवाई की तिथि – 18.02.2020

***

श्री अमित कुमार पुत्र श्री फूल सिंह निवासी औरंगनगर रार्धना, थाना सरधना, तहसील सरधना जनपद मेरठ के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के क्रम में डॉ. लोकेश कुमार प्रजापति, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष कोर्ट रूम, ग्राउंड फ्लोर, त्रिकूट -1, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066 में दिनांक 18.02.2020. समय 14:00 बजे सुनवाई नियत की गयी |

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग :-

1. श्री लोकेश कुमार प्रजापति, माननीय उपाध्यक्ष
2. श्री जे. रविशंकर, अवर सचिव
3. श्री संदीप कुमार, निजी सचिव मा0 उपाध्यक्ष
4. राजुल रायकवार, अनुसंधान अधिकारी
5. राजशी पटवारी, अनुसंधान अन्वेषक

आयोग के समक्ष उपस्थिति हेतु अपेक्षित अधिकारीगण व अन्य :-

1. मंडल आयुक्त, मेरठ,
2. पुलिस महानिरिक्षिक, मेरठ,
3. जिलाधिकारी, मेरठ
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ
5. शिकायतकर्ता

उपस्थित पक्षगण :-

1. श्री अमित कुमार
2. श्री महिपाल सिंह

उपस्थित अधिकारीगण :-

1. श्री कमलेश गोयल, एसीएम, मेरठ
2. श्री अखिलेश,अपर पुलिस अधीक्षक, मेरठ

संलग्नक :-

1. शिकायतकर्ता श्री अमित कुमार द्वारा प्रेषित शिकायत एवं अन्य संलग्नक।
2. उपरोक्त उपस्थित अधिकारीगण द्वारा प्रेषित आख्या।

आवेदक श्री अमित कुमार द्वारा लगाये गए आरोप :-

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग मे उपरोक्त विषय के संबंध में दिनांक 16-10-2019 को श्री अमित कुमार पुत्र श्री फूल सिंह निवासी औरंगानगर रार्धना, थाना सरधना, तहसील सरधना जनपद मेरठ द्वारा शिकायत की गयी | जिसमे श्री अमित कुमार द्वारा अवगत कराया गया की आवेदक ने भट्टा स्थापित कराने हेतु श्री नवीन कुमार पुत्र पूरन सिंह निवासी ग्राम मोरना, जिला मेरठ की 10120 वर्ग मीटर भूमि खसरा संख्या 25 स्थित ग्राम मोरना, जिला मेरठ 16 वर्षो की पंजीकृत डीड (किरायानामा) जिसकी अवधि 01.08.2013 से 31.07.2029 तक की रहेगी, के आधार पर ली थी । आवेदक द्वारा किरायानामा कराने के पश्चात स्थल का मानचित्र तैयार कराकर उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया | भट्टा सञ्चालन हेतु जिला पंचायत कार्यालय में निर्धारित रोयल्टी शुल्क जमा कराया | आवेदक द्वारा अपने नाम से एक विद्युत संयोजन संख्या 816913 स्वीकृत कराया | आवेदक की फर्म द्वारा वाणिज्य कर खंड -11 मेरठ से टिन न०. 09876516059C व आयकर विभाग से पैन नंबर ACOFS91135Q प्राप्त किया | तत्पश्चात वर्ष 2014 में भट्टे का विधिवत सञ्चालन शुरू किया | आवेदक की फर्म का समय समय पर वाणिज्य कर विभाग द्वारा सर्वे (जाँच) की जाती रही है | आवेदक की फर्म द्वारा विभिन्न वर्षो में भट्टा सञ्चालन के क्रम में खनन विभाग में निर्धारित रोयल्टी शुल्क प्रदेश सरकार के खाते में जमा किया गया | भारत सरकार द्वारा समस्त भारत में एक कर प्रणाली (GST) लागू करने के उपरांत GST No. 09BLFPK0119M1Z1 प्राप्त किया गया |

आवेदक की फर्म द्वारा 1. श्री मुख्त्यार, अहमद अली, इस्तकार तथा इजहार पुत्रगण शमशाद अली निवासी ग्राम ज्ञानपुर तहसील व जिला मेरठ 2. रमेशचंद, सुरेशचंद, पुत्रगण श्री दाताराम निवासी ग्राम रुकनपुर, तहसील व मेरठ 3. कालूराम व मुनेश पुत्रगण रामकरण निवासी ग्राम मोरना, तहसील व जिला मेरठ 4. सुरेद्र व सुरेशचंद पुत्रगण स्व० काले व सुनील पुत्र स्व० टेकचंद निवासीगण ग्राम मोरना, तहसील व जिला मेरठ तथा 5. रमेशचंद पुत्र दाताराम निवासी ग्राम मोरना, तहसील व् जिला मेरठ से ईट पथाई हेतु मिटटी उठाने हेतु अनुबंध किये |

आवेदक की फर्म का कार्य दिन दोगुना रात चोगना होता गया तो क्षेत्र के कुछ दबंग इर्ष्या रखते हुए नाजायज दबाव बनाने लगे | आवेदक व्यापार करना है किसी से झगडा नहीं करना इसी सिद्धांत को लेकर इन दबंगों की जायज मांग मान लेते परन्तु आवेदक के सरल व्यवहार व इमानदारी के कारण इन दबंगों का हौसला बढता गया तथा आवेदक के भट्टे को अवैध रूप से कब्ज़ा कर स्वयं सञ्चालन करने हेतु नए नए षड़यंत्र रचने लगे | इसी क्रम में दिनांक 18.05.2016 को आवेदक की अनुपस्थिति में नवीन व रमेश ने अपने कुछ लड़के आवेदक के भट्टे पर भेजे जिन्होंने वहां पहुंचकर तमंचे से फायर किया तथा वहां उपस्थित महिपाल को एक लिखित कागज दिया जिस पर लिखा था 5 लाख रूपये का शीघ्र इंतजाम कर देना नहीं तो अमित को जान से मार देंगे और भाग गए घटना की रिपोर्ट थाना भावनपुर पर मु0अ0सं0 176/2016 धारा 342/506 भा0द0सं0 दर्ज है | उपरोक्त नवीन व रमेश आवेदक को बर्बाद करने से बाज नहीं आये और आये दिन भट्टा छोड़कर भागने को कहने लगे, अति होने पर आवेदक द्वारा एक प्रार्थना पत्र थाना भावनपुर पुलिस को दिया जिसको मु0अ0सं0 176/2016 में ही जाँच हेतु सम्मिलित कर लिया गया | नवीन पुत्र पूरन निवासी ग्राम मोरना, तहसील व जिला मेरठ जाति कम्बोज व रमेश चंद

पुत्र दाताराम निवासी ग्राम मोरना, मेरठ ब्राह्मण जाति से है तथा दोनों लोग दबंग है क्षेत्र में लोग इनसे भयभीत रहते है और इनके खिलाफ मुंह खोलने से डरते है | वही आवेदक कमजोर जाति से होने के कारण आये दिन भट्टे पर आकर कहते कि कुम्हार के, भट्टा छोड़ दे और अपनी जान बचा ले नहीं तो बीवी बच्चे सहित मार दिया जायेगा | आवेदक वहां से डरकर अपनी जान बचाकर भट्टा छोड़कर चला आया | आवेदक को श्री महिपाल द्वारा बताया गया कि आवेदक के वहां से आने के बाद नवीन और रमेश ने भट्टा कब्ज़ा कर लिया है | तुम तो डर कर घर आकर बैठ गए हो फर्म के नाम जो खनन विभाग की रोयल्टी व व्यापार कर का बकाया जो बाकि है तुम्ही को जमा करना पड़ेगा | इसलिए आवेदक भट्टे पर चलकर वहां काम देखो डरो मत | आवेदक रविवार के दिन महिपाल की बात मानकर भट्टे पर गया तो उन्होंने आवेदक को मारपीट कर भगा दिया और उल्टे वहां 100 नंबर की पुलिस को फोन किया जिससे आवेदक डरकर भाग आया | आवेदक द्वारा, नवीन और रमेश चंद आवेदक व महिपाल को कभी भी जान से मरवा सकते है अवगत कराते हुए उपरोक्त तथ्यों पर कठोर कार्यवाही कराते हुए भट्टे पर किये गए अवैध कब्जे को मुक्त कराकर आवेदक को दिलाये जाने सम्बन्धी प्रार्थना की गयी है |

अपर पुलिस अधीक्षक / क्षेत्राधिकारी सदर देहात जनपद मेरठ द्वारा प्रेषित आख्या :-

कार्यालय क्षेत्राधिकारी सदर देहात जनपद मेरठ के पत्रांक सं.० एसटी-सीओसदरदेहात-पि० आयोग/19 दिनांक फरवरी 2020 के अंतर्गत अभिलेखों के अवलोकन में अवगत कराया गया कि जाँच के दौरान आवेदक के शिकायती प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न में उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के अवलोकन से पाया कि विपक्षी नवीन कुमार से आवेदक अमित कुमार आदि के द्वारा दिनांक 19.09.2013 को एक किरायानामा मियादी 16 वर्ष रजिस्टर्ड बही संख्या 01 जिल्द संख्या 9637 प्रष्ट संख्या 215 से 230 पर क्रमांक 9307 पर उप निबंधक प्रथम मेरठ प्रथम के यहाँ रजिस्टर्ड कराया था | इसके अतिरिक्त गणेश एंटरप्राइजेज ग्राम मोरना के नाम से उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त अनुमति, आवेदक अमित कुमार के नाम से बिजली का बिल आदि तथा ग्राम मोरना व अन्य के ग्राम वासियों से भट्टे के लिए ईटों के निर्माण किए जाने हेतु भूमि को पथाई के लिए किराए पर रहने की के प्रपत्र रजिस्टर्ड | व इसके अतिरिक्त आवेदक श्री अमित कुमार की ओर से दिनांक 18.05.2016 में थाना भावनपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 176/16 धारा 387.506 भादवी बनाम दो लड़के काली पल्सर पर सवार के द्वारा वादी के भट्टे पर आकर वादी व वादी के पार्टनर महिपाल को रंगदारी लेने के लिए एक चिट्ठी देना तथा भय व्याप्त करने के लिए दीवार पर फायर करना व 05 लाख रूपये की रंगदारी की मांग करने के संबंध में पंजीकृत कराया गया था |जिसकी विवेचना उप निरीक्षक श्री सुरेंद्र सिंह राणा, उप निरीक्षक श्री महिपाल सिंह, उप निरीक्षक श्री मदन पाल सिंह व उपनिरीक्षक श्री मुकेश कुमार के द्वारा ग्रहण कर सम्पादित की गई | विवेचना के दौरान घटना में अभियुक्तगण सतीश गिरी पुत्र बालेश्वर निवासी श्याल थाना भावनपुर मेरठ सोनू उर्फ चिंगा भैया पुत्र सुनील कुमार निवासी कैंपस गोल मंदिर थाना नौचंदी मेरठ व विवेक गोयल उर्फ लाल पुत्र प्रमोद कुमार गोयल निवासी 1463 ब्रह्मपुरी थाना ब्रह्मपुरी मेरठ के नाम प्रकाश में आने पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र क्रमश दिनांक 03.03.2017 को आरोप पत्र संख्या 31/17 अभियुक्तगण सोनू व विवेक गोयल के विरुद्ध तथा दिनांक 20.04.2018 को आरोप पत्र संख्या 31ए दिनांक 20.04.2018 को किता कर विवेचना समाप्त की गयी |

इसके अतिरिक्त आवेदक ने एक पार्टनरशिप डीड दिनांकित 25.03.2017 को उपनिबंधक प्रथम मेरठ के यहां की रजिस्टर्ड की छायाप्रति उपलब्ध कराई गई जिसमें आवेदक अमित कुमार के साथ विपक्षी रमेशचंद्र, सोमबीर, महिपाल व नवीन कुमार का 20 प्रतिशत हिस्सेदारी का उल्लेख है | इसके अतिरिक्त आवेदक ने एक संशोधित पार्टनरशिप डीड की प्रति उपलब्ध कराई गई जो केवल नोटरी दिनांकित 28.09.2018 को हुई है | परंतु उक्त डीड रजिस्टर नहीं है | इसमें आवेदक अमित कुमार व सोमवीर का भट्टे से अलग होने की डीड है इसमें यह भी अंकित है कि द्वितीय पक्ष 12 माह के अंदर निपटा कर नोड्यूज लेकर प्रथम पक्ष को भी दिखाएंगे | यदि द्वितीय पक्ष ऐसा नहीं करता है तो यह डीड निष्प्रभावी समझी जाएगी | विपक्षीगण से जानकारी पर उन्होंने कोई ड्यूज जमा नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त डीड निष्प्रभावी हो गई है | इसके अतिरिक्त विपक्षी रमेश चंद के द्वारा अपना कोई लिखित जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षी रमेशचन्द्र अपने विरुद्ध शिकायत प्रकरण के संबंध में अपना कोई लिखित जवाब नहीं देना चाहते हैं |

तदुपरांत कार्यालय क्षेत्राधिकारी सदर देहात जनपद मेरठ के पत्रांक सं.० एसटी-सीओसदरदेहात-पि० आयोग/19 दिनांक फरवरी 2020 के अंतर्गत निष्कर्ष में अवगत कराया गया कि जांच के दौरान आवेदक श्री अमित कुमार के शिकायती प्रार्थना पत्र में अंकित आरोपों व आवेदक के द्वारा अंकित कराये गए कथनों व विपक्षी रमेशचन्द्र के द्वारा अंकित कराये गए कथनों से आवेदक व विपक्षीगण के मध्य श्री गणेश इंटरप्राइजेज के नाम से रजिस्टर्ड फर्म ईट का भट्टा जिसे बाद में विपक्षीगण के द्वारा आर०एस० ब्रिक फिल्ड के नाम से उपरोक्त फर्म को बिना निरस्त कराये ही उक्त नाम पर रजिस्टर्ड कराकर उसकी नए नाम से रोयल्टी आदि जमा करने व नया GST नंबर लिया गया है | आवेदक व विपक्षी के मध्य उक्त ईट के भट्टे के स्वामित्व को लेकर दोनों पक्षों में विवाद है इस सम्बन्ध में आवेदक अमित कुमार आदि बनाम नवीन कुमार आदि मा० सिविल न्यायलय वाद संख्या 04/2020 योजित किया है | चूँकि आवेदक व विपक्षीगण के मध्य भट्टे के स्वामित्व को लेकर मा० न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है इस कारण आवेदक को हिदायत की गयी कि वह भट्टे के स्वामित्व के सम्बन्ध में मा० न्यायलय में चाराजोई करे | इसके अतिरिक्त आवेदक श्री अमित कुमार के नाम श्री गणेश एंटरप्राइजेज को बिना निरस्त कराये आर०एस० ब्रिक फिल्ड के नाम से विपक्षीगण रमेश चन्द्र व नवीन कुमार के द्वारा दूसरी फर्म रजिस्टर्ड कराने में धोखाधड़ी किया जाना प्रथम द्रष्टया प्रतीत होता है | इस सम्बन्ध में आवेदक श्री अमित कुमार उपरोक्त के द्वारा एक प्रार्थना पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय जनपद मेरठ में उच्च अधिकारीगण के समक्ष दिनांक 03.02.2020 को प्रेषित किया गया था | आवेदक के उक्त शिकायती प्रार्थना पत्र पर दिनांक 15.02.2020 को थाना भावनपुर पर मु०अ०स० 53/20 धारा 420 भादवि पंजीकृत कराया गया है जिसकी विवेचना वरिष्ठ उ०नि० श्री जीतेन्द्र कुमार के सुपुर्द की गयी है | मेरे द्वारा थाना प्रभारी भावनपुर को मुकदमा उपरोक्त की विवेचना का शीघ्र साक्ष्य के आधार पर विधिक निस्तारण किये जाने के लिए निर्देशित किया गया है |

जिला मजिस्ट्रेट जनपद मेरठ द्वारा प्रेषित आख्या :-

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रेषित पत्रांक सं. 126/जे०ए०प्रथम-1665/19-मा0आयोग-2019-20 दिनांकित 17-02-2020 में अवगत कराया गया कि जॉइंट मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी, मेरठ ने अपने पत्र सं०-285/एस0टी0-एस0डी0एम0 दिनांक 17.02.2020 के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण में तहसीलदार मेरठ से जाँच आख्या प्राप्त की गयी | तहसीलदार मेरठ की जाँच आख्या दिनांक 17.02.2020 के अनुसार ग्राम मोरना परगना तहसील व जिला मेरठ में अमित कुमार पुत्र फूल सिंह आदि निवासी औरंगनगर रार्धना तहसील सरधना जिला मेरठ ने किराये पर एक प्लाट भट्टा लगाने /चलाने हेतु नवीन पुत्र पूरण सिंह निवासी मोरना से 16 वर्ष के लिए लिया था | जिसमे श्री गणेश इंटरप्राइजेज मोरना में लगभग 03 वर्ष भट्टा चलाया | बाद में आपसी समझौते के अनुसार नवीन पुत्र पूरण सिंह ने आर0एस0 ब्रिक फिल्ड मोरना चलाया | दिए बयान के आपसे समझौते के अनुसार 25,00,000/- रु0 रोयल्टी व सेल्स टैक्स जमा करना था, जो नहीं किये गए, जिसके सम्बन्ध में थाना भावनपुर में अमित कुमार द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है तथा अमित कुमार के बयान लिए गए |

सुनवाई के दौरान हुई चर्चा का विस्तृत विवरण:-

शिकायतकर्ता, श्री अमित कुमार:

महोदय, मैंने भट्टा स्थापित कराने हेतु श्री नवीन कुमार पुत्र पूरन सिंह निवासी ग्राम मोरना, जिला मेरठ की 10120 वर्ग मीटर भूमि खसरा संख्या 25 स्थित ग्राम मोरना, जिला मेरठ 16 वर्षो की पंजीकृत डीड (किरायानामा) जिसकी अवधि 01.08.2013 से 31.07.2029 तक की रहेगी के आधार पर ली थी । भट्टा स्थापित करने के लिए सारे दस्तावेज़ कार्यवाहियों का काम पूरा कर भट्टा चालू किया था। परंतु 18-05-2016 को नवीन व रमेश ने प्रार्थी के भट्टे पर अपने लोगों को भेजकर 5 लाख रुपये की मांग की, जिसमें मामले में एक शिकायत भावनपुर थाने में दर्ज़ है। मैं डर से भट्टे पर नहीं गया था क्योंकि जिस दिन नवीन व रमेश रुपये मांगने आये थे उस दिन उन लोग ने बंदूक से फ़ाइरिंग की थी। प्रार्थी को श्री महिपाल द्वारा जानकारी मिली की नवीन व रमेश ने उसकी भट्टे पर कब्जा कर लिया ।

अपर पुलिस अधीक्षक, श्री अखिलेश:

महोदय, धारा 420 के अंतर्गत एक एफ़आईआर दर्ज़ किया गया है।

शिकायतकर्ता, श्री अमित कुमार:

मुझे केवल मेरा भट्टा वापिस दिला दिया जाये ताकि में अपना काम फिर से चालू कर सकू।

अपर पुलिस अधीक्षक, श्री अखिलेश:

श्री अमित कुमार ने भट्टे पर काम करना बंद कर दिया था और उनके काम बंद करने के बाद नवीन व रमेश ने वह भट्टा चालू कर दिया और वह काम करने लगे। अमित जी का मामला कागजों और दस्तावेज़ के दृष्टि से सही है।

माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति:

शिकायतकर्ता ने वह जमीन जिस पर भट्टा स्थापित है उसे 16 वर्ष के लिए ली है, जिसके लिए उन्होने उचित कागजी कार्यवाही भी की है। डीड भी बनवाये गये है एवं जमीन के मालिक को उचित रुपये भी दिये थे। पर अब वे लोग अवैध रूप से शिकायतकर्ता की भट्टे पर कब्ज़ा किये हुए है।

शिकायतकर्ता, श्री अमित कुमार:

दिनाँक 18-05-2016 को भट्टे पर आरोपियों द्वारा फ़ाइरिंग की गयी थी, जिसकी शिकायत भावन पुर थाने में दर्ज़ कारवाई गयी थी।

अपर पुलिस अधीक्षक, श्री अखिलेश:

महोदय, जिस व्यक्ति ने फ़ाइरिंग की थी उसको गिरफ़्तार किया जा चुका है, वह जेल में है और आरोप पत्र भी प्रस्तुत किया जा चुका है।

माननीय उपाध्यक्ष, श्रीलोकेश कुमार प्रजापति:

जो आरोपी है वो भट्टे का मालिक बना हुआ है जबकि उस भट्टे को स्थापित करने में सारी मेहनत और पैसा शिकायतकर्ता ने लगाए है।

एसीएम, मेरठ, श्री कमलेश गोयल:

महोदय, हम यह कोशिश करेंगे कि वह भट्टा जिसको आरोपी अवैध रूप से चला रहा है उसको बंद कर दे एवं उस पर सख़्त कार्यवाही की जाए।

माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति:

शिकायतकर्ता ने अपनी जमीन बेच कर इस भट्टे को स्थापित किया है, उसने अपनी सारी कमाई इस भट्टा पर लगा दी है और आरोपी उसपर अवैध रूप से कब्ज़ा किए हुआ है। इन्हे न्याय दिलवाना अति आवश्यक है।

सुनवाई के दौरान प्राप्त तथ्य / निष्कर्ष :-

सम्यक रूप से आयोग को प्राप्त अभिलिखित साक्ष्यो के परीक्षणोंपरान्त निम्नलिखित तथ्य प्राप्त हुए | :-

1. आवेदक ने भट्टा स्थापित कराने हेतु श्री नवीन कुमार पुत्र पूरन सिंह निवासी ग्राम मोरना, जिला मेरठ की 10120 वर्ग मीटर भूमि खसरा संख्या 25 स्थित ग्राम मोरना, जिला मेरठ 16 वर्षो की पंजीकृत डीड (किरायानामा) जिसकी अवधि 01.08.2013 से 31.07.2029 तक की रहेगी, के आधार पर ली थी ।
2. आवेदक द्वारा भट्टा सञ्चालन हेतु अपनी फर्म गणेश इंटरप्राइजेज के नाम औपचारिकताये पूर्ण कर ली गयी थी |
3. विपक्षीगणों द्वारा आर0एस0 ब्रिक फिल्ड के नाम से गणेश इंटरप्राइजेज फर्म को बिना निरस्त कराये ही उक्त नाम पर रजिस्टर्ड कराकर, नए नाम से रोयल्टी आदि जमा करने व GST नंबर लिए जाने के सापेक्ष अपर पुलिस अधीक्षक / क्षेत्राधिकारी सदर देहात मेरठ द्वारा प्रथम द्रष्टया धोखाधड़ी पाया तथा इस सम्बन्ध में मु0अ0सं0 53/2020 धारा 420 भादवि थाना भावनपुर में दिनांक 15.02.2020 को पंजीकृत कराया |
4. आवेदक श्री अमित कुमार की ओर से दिनांक 18.05.2016 में थाना भावनपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 176/16 धारा 387.506 भादवी बनाम दो लड़के काली पल्सर पर सवार के द्वारा वादी के भट्टे पर आकर वादी व वादी के पार्टनर महिपाल को रंगदारी लेने के लिए एक चिट्ठी देना तथा भय व्याप्त करने के लिए दीवार पर फायर करना व 05 लाख रूपये की रंगदारी की मांग करने के संबंध में पंजीकृत कराया गया था | जिसमे अभियुक्तगण सतीश गिरी पुत्र बालेश्वर निवासी श्याल थाना भावनपुर मेरठ सोनू उर्फ चिंगा भैया पुत्र सुनील कुमार निवासी कैंपस गोल मंदिर थाना नौचंदी मेरठ व विवेक गोयल उर्फ लाल पुत्र प्रमोद कुमार गोयल निवासी 1463 ब्रह्मपुरी थाना ब्रह्मपुरी मेरठ के नाम प्रकाश में आने पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र क्रमश दिनांक 03.03.2017 को आरोप पत्र संख्या 31/17 अभियुक्तगण सोनू व विवेक गोयल के विरुद्ध तथा दिनांक 20.04.2018 को आरोप पत्र संख्य 31ए दिनांक 20.04.2018 को किता कर विवेचना समाप्त की गयी |
5. अपर पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी सदर देहात, मेरठ की आख्या अनुसार, इसके अतिरिक्त आवेदक ने एक पार्टनरशिप डीड दिनांकित 25.03.2017 को उपनिबंधक प्रथम मेरठ के यहां की रजिस्टर्ड की छायाप्रति उपलब्ध कराई गई जिसमें आवेदक अमित कुमार के साथ विपक्षी रमेशचंद्र, सोमबीर, महिपाल व नवीन कुमार का 20 प्रतिशत हिस्सेदारी का उल्लेख है |
6. अपर पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी सदर देहात, मेरठ की आख्या अनुसार, इसके अतिरिक्त आवेदक ने एक संशोधित पार्टनरशिप डीड की प्रति उपलब्ध कराई गई जो केवल नोटरी दिनांकित 28.09.2018 को हुई है | परंतु उक्त डीड रजिस्टर नहीं है | इसमें आवेदक अमित कुमार व सोमवीर का भट्टे से अलग होने की डीड है इसमें यह भी अंकित है कि द्वितीय पक्ष 12 माह के अंदर निपटा कर नोड्यूज लेकर प्रथम पक्ष को भी दिखाएंगे | यदि द्वितीय पक्ष ऐसा नहीं करता है तो यह डीड निष्प्रभावी समझी जाएगी | विपक्षीगण से जानकारी पर उन्होंने कोई ड्यूज जमा नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त डीड निष्प्रभावी हो गई है |

इसके अतिरिक्त विपक्षी रमेश चंद के द्वारा अपना कोई लिखित जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षी रमेशचन्द्र अपने विरुद्ध शिकायत प्रकरण के संबंध में अपना कोई लिखित जवाब नहीं देना चाहते हैं |

आयोग को प्राप्त उपरोक्त तथ्यों एवं निष्कर्ष के क्रम में आयोग को प्रतीत होता है कि बिंदु संख्या -1 एवं 2 के अनुसार आवेदक श्री अमित कुमार द्वारा उक्त भट्टे का स्वामित्व पंजीकृत किरायानामा के आधार पर आवेदक के पक्ष में था, जिसे वैधानिक ढंग से निरस्त\समर्पण नहीं किया गया | जिसकी पुष्टि आयोग को प्रेषित जिला अधिकारी मेरठ की आख्या पत्रांक संख्या 126/जे०ए०प्रथम-1665/19-मा0आयोग-2019-20 दिनांकित 17-02-2020 में उल्लेखित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ एवं जॉइंट मजिस्ट्रेट /उप जिलाधिकारी की जाँच आख्या से होती है | बिंदु संख्या – 3 के अनुसार विपक्षीगणों द्वारा धोखाधड़ी की नियत से आर0एस0 ब्रिक फिल्ड के नाम से गणेश इंटरप्राइजेज फर्म को बिना निरस्त कराये ही उक्त नाम पर रजिस्टर्ड कराकर, नए नाम से रोयल्टी आदि जमा करने व GST नंबर लिए गए | जिसे अपर पुलिस अधीक्षक / क्षेत्राधिकारी सदर देहात मेरठ द्वारा अपनी आख्या में प्रथम द्रष्टया धोखाधड़ी होना पाया | बिंदु संख्या – 4 के अनुसार स्पष्ट है कि पूर्व में भी आवेदक को भट्टा चलाने में अपराधिक तत्वों का सामना करना पड़ता रहा है | बिंदु संख्या – 5 व 6 के अनुसार स्पष्ट है कि विपक्षीगणों द्वारा भी आवेदक को भट्टे के स्वामित्व से अलग नहीं किया गया है |

उपरोक्तानुसार आयोग द्वारा अपेक्षित किया जाता है कि आर0एस0 ब्रिक फिल्ड जोकि पूर्व से संचालित/कार्यरत फर्म को बिना निरस्त कराये, पंजीकृत किया गया है के सम्बन्ध में आर0एस0 ब्रिक फिल्ड फर्म को नियमानुसार निरस्त कराया जाना एवं दौराने जांच आवेदक के भट्टे का स्वामित्व समाप्त होने की अथवा किये जाने की, साक्ष्यो के अभाव में पुष्टि नहीं हो पाई है के क्रम में आवेदक श्री अमित कुमार जिनके साक्ष्यो से भट्टे का स्वामित्व प्राप्त होने की पुष्टि होती है के आधार पर श्री अमित कुमार को उनके भट्टे पर सुचारू रूप से कार्य करने के लिए विधि अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित कर कार्यवाही से आयोग को 15 दिवसों में आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे |

(डॉ. लोकेश कुमार प्रजापति)
माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

(जे. रविशंकर)
अवर सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

(संदीप कुमार)
निजी सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग